

राजस्थान सरकार,
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.10(6)वित्त/राजस्व/2010 पार्ट

जयपुर दिनांक 21.02.

सदस्य सचिव एवं निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:— राज्य पेंशनर्स को नई मेडिकल डायरियां जारी करने के संबंध में ।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कम्प्यूटरीकृत मेडिकल डायरियां जारी करने के कार्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुरानी मेडिकल डायरियों से दवा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 31.5.2013 निर्धारित की जाती हैं अर्थात् पुरानी मेडिकल डायरियों से 31.05.2013 तक पेंशनर्स को दवा उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

नई मेडिकल डायरियों को जारी करने के कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को गति प्रदान करने हेतु सतत एवं प्रभावी मोनिटरिंग की जावे एवं नई मेडिकल डायरियां दिनांक 31.05.2013 तक सभी पेंशनर्स को जारी करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव